प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: शिविर/ 40601 – 40697/2023–24 दिनांक 02 जनवरी, 2024

विषयः 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः 3023स0सु0/2023–30स0सु0/2019 दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 व समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त पत्र की प्रति शिविर कार्यालय को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश निर्गत किये जाय।

2– उक्त संदर्भित पत्र में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख हैः–

1) डा० शुचिता चतुर्वेदी, सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के पत्र सं०–रा०बा०आ०/1595/40/विविध/2023–24 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अवगत कराया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाईसेंस के एक्टिवा, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनायें हो रही है तथा के०जी०एम०यू० व लोहिया संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गँवाने वाले 40 प्रतिशत नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है। सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/निजी/मदरसा आदि) में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाये और मोटरयान अधिनियम–199(क)(1) के अन्तर्गत वाहन स्वामी 5)(1) को उत्तरदायी ठहराते हुए कार्यवाही की जाये जिससे समाज के भावी कर्णधारों व मेधा शक्ति की अपूरणीय क्षति को रोका जा सके।

2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाया जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सी०सी० से कम इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल को चला सकेगा। इसी के साथ ही धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति से न तो यान चलावाएगा और न ही इसे चलाने की अनुमति देगा, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। उपरोक्त के अतिरिक्त मोटरवाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से किशोरों द्वारा किये जाने वाले मोटर वाहन अपराधों के संबध में एक नयी धारा 199क जोड़ी गयी है जिसके अन्तर्गत प्राविधान किया गया है कि किसी किशोर द्वारा मोटरवाहन अपराध में किशोर के संरक्षक/मोटरवाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुए दण्डित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत संरक्षक/मोटरवाहन स्वामी को 03 वर्ष तक का कारावास तथा 25 हजार रु० तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन 01 वर्ष की अवधि के लिये निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसे किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही बन सकेगा।

3) परिवहन आयुक्त के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:–

- प्रत्येक जनपद में जनवरी एवं जुलाई माह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली **"जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति"** की बैठक में जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/विद्यालय प्राधिकारियों को, तथा प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्राधिकारी के द्वारा प्रत्येक त्रैमास आयोजित होने वाली **"विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति"** की बैठक में अभिभावकों को भी मोटरवाहन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों से अवगत करा दिया जाये। उपरोक्त बिन्दु को बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाये।
- जनपद के समस्त विद्यालयों में **"रोड सेफ्टी क्लब"** के गठन के साथ–साथ रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक भी नामित कर दिया जाये तथा नोडल शिक्षक के द्वारा विद्यालय में प्रार्थनासभा/असेम्बली के समय विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के विषय पर जानकारी प्रदान की जाये तथा सड़क सुरुक्षा शपथ दिलायी जाये।
- समस्त कक्षाओं में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन के रूप में नामित किया जाये तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक पीरीयड में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा विषय पर जानकारी दी जाये।
- जनपद स्तर पर नामित मास्टर ट्रेनर के द्वारा समस्त विद्यालयों के नोडल शिक्षक को शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की देख–रेख में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- समस्त विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबधित वॉलपेंटिंग करायी जाये, जिससे विद्यार्थी सडक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए इसके प्रति जागरूक हो सके।
- सामान्यतः सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के कक्षावार व्हॉट्सएप ग्रुप पूर्व में ही बने हुए हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी का व्हॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों के मध्य व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में जनपद के समस्त रोड सेफ्टी नोडल शिक्षकों का एक व्हॉट्सएप ग्रुप सृजित करते हुए सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी का प्रेषण किया जाये। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों यथा– फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब आदि के द्वारा भी सडक सुरक्षा से संबधित जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाये।
- 16 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा कोई भी मोटर वाहन चलाये जाने एवं 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा 50 सी०सी० से अधिक इंजन क्षमता की मोटर साइकिल अथवा चार पहिया वाहन चलाये जाने के विरूद्ध परिवहन विभाग के द्वारा विद्यालय प्रबंधन के साथ संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही की जाये तथा बिना वैध ड्राइविंग लाईसेंस के विद्यार्थियों के द्वारा वाहन चलाये जाते पाये जाने पर चालान के साथ–साथ संरक्षक/मोटरवाहन स्वामी के विरूद्ध धारा 199क के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।
- इस संबध में दिनांक 01.01.2024 से 07.01.2024 तक विशेष अभियान चलाया जाये तथा अभियान की समाप्ति पर सूचना निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाये–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपद में माध्यमिक शिक्षा के कुल विद्यालयों की संख्या	उन विद्यालयों की संख्या, जिसमें रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित है।	उन विद्यालयों की संख्या, जिसमें रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित नहीं है।	विद्यालय में प्रार्थना सभा/असेम्बी के समय परिवहन विभाग/रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	विद्यालय प्रबन्धन के साथ संयुक्त कार्यवाही के अन्तर्गत किशोरों के द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते समय किये गये चालानों की संख्या	कॉलम 7 के सापेक्ष संरक्षक/मोटर वाहन स्वामी को धारा 199क के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8

3– उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में 899 राजकीय इण्टर कालेजों में रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत गतिविधियों के आयोजन हेतु धनराशि रूपये 44.95 लाख (प्रति रोड सेफ्टी क्लब रूपये 5,000.00) की बजटीय व्यवस्था कराने हेतु शिविर कार्यालय के पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 द्वारा एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2373 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की दीवारों पर यातायात नियमों/स्लोगन को लिखवाये जाने हेतु धनराशि रूपये 11,86,500/– (प्रति विद्यालय रूपये 500.00) की बजटीय व्यवस्था कराने हेतु शिविर कार्यालय के पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, अपने जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन)/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0(महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0: शिविर/ /2023–24, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मण्डल, उ0प्र0।